



**अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना**

नि0 संख्या-01/2026-27 दिनांक-27.04.2026

अपर सचिव शिक्षा विभाग बिहार, पटना के पत्रांक-10 दिनांक-30.04.2024 के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं इसके उपर के स्तर के पदाधिकारी को छोड़कर सभी पदाधिकारियों के लिए इंधन सहित व्यवसायिक वाहन के लिए मासिक भाड़ा 1000 किलोमीटर तक के लिए 35000/- (पैतीस हजार रूपये) मात्र दर पर बोलरो एवं इसके समकक्ष वाहन तथा इससे अधिक उपयोग करने पर 10 रूपये प्रति किलोमीटर की दर से राशि के आधार पर एक व्यवसायिक वाहन मासिक भाड़े पर लेने हेतु निदेश प्राप्त होने के क्रम में अधोहस्ताक्षरी महाविद्यालय में गठित क्रय समिति की बैठक संख्या-02 दिनांक-22.04.2026 के प्रस्ताव संख्या-01 में निविदा के आधार पर अधोहस्ताक्षरी महाविद्यालय हेतु 01 व्यवसायिक वाहन मासिक भाड़े पर आपूर्ति हेतु निर्णय लिया गया। एतद् द्वारा सर्वसाधारण के बीच संबंधित निविदा अमंत्रित की जाती है।

1 निविदा दाता का पदनाम एवं पता :- प्राचार्य, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, भागलपुर

2 निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत की तिथि :- 27.04.2026

3. निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि तथा समय :- 04.05.2026 समय संध्या 05:00 बजे तक

5. निविदा खोलने की तिथि/समय :- 05.05.2026 समय संध्या 03:30 बजे

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, भागलपुर में 01 व्यवसायिक वाहन मासिक भाड़े पर आपूर्ति हेतु निम्नांकित शर्त के अधीन बंद लिफाफों में निविदा अमंत्रित की जाती है-

- (i) वाहन का प्रकार बोलरो एवं समकक्ष।
- (ii) व्यवसायिक वाहन का वाणिज्यिक निबंधन, GST निबंधन होना चाहिए।
- (iii) वाहन का बीमा, रोड टैक्स (फास्ट टैग रिचार्ज), फिटनेस परमिट, प्रदूषण प्रमाण-पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस आदि अद्यतन होना चाहिए।
- (iv) वाहन एजेंसी को पिछले वर्ष चुकाए गए आयकर तथा वस्तु एवं सेवा कर हेतु दर्ज किए गए रिटर्न की प्रति कोटेशन के साथ समर्पित करनी होगी।
- (v) वाहन का रख-रखाव, साफ-सफाई एवं अन्य मेंटेनेंस का दायित्व वाहन मालिक का होगा साथ ही गाड़ी चोरी या दुर्घटना अथवा अन्य क्षति की जिम्मेवारी संस्थान की नहीं होगी।
- (vi) वाहन का भुगतान सीधे एजेंसी के खाते में किया जाएगा।
- (vii) विभाग द्वारा वाहन के लिए मासिक भाड़ा 1000 किलोमीटर तक के लिए 35,000/- मात्र निर्धारित किया गया है एवं इससे अधिक उपयोग करने पर 10 रू0 प्रति किलोमीटर की दर से राशि देय है। संबंधित दर से सबसे कम दर अंकित करने वाली एजेंसी का चयन L-1 के आधार पर किया जाएगा।
- (viii) चयनित एजेंसी को कार्यादेश निर्गत होने के पश्चात् 24 घंटे के अंदर अनुबंध अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में समर्पित करना होगा।
- (ix) अनुबंधित वाहन जिला के अंदर उपयोग में रहेंगा। राज्यस्तरीय बैठक एवं अन्य विभागीय कार्यों के लिए वाहन को जिला से बाहर भी जाना पड़ सकता है।
- (x) सेवा संतोषजनक नहीं रहने तथा परिचालन में असुविधा की स्थिति में बिना पूर्व सूचना के सेवा समाप्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
- (xi) व्यवसायिक वाहन/बोलरो तथा समकक्ष वाहन या उससे उपर के गुणवत्ता वाले वाहन को L1 दर पर उपलब्ध कराने वाले निविदा पर विचार किया जाएगा।
- (xii) वाहन अधोहस्ताक्षरी महाविद्यालय के लिए चालक सहित 24x7 अवधि के लिए उपलब्ध रहेगा।

इच्छुक वाहन एजेंसी/वाहन मालिक अपने GST निबंधन प्रमाण-पत्र, पैन नंबर, आधार नंबर, बैंक खाता संख्या एवं IFSC Code के साथ एवं उपर के कंडिकाओं में उल्लेखित सभी दस्तावेजों की सत्यापित छाया-प्रति निर्धारित तिथि तक कार्यालय अवधि में हाथों-हाथ या निबंधित डाक से जमा करना सुनिश्चित करेंगे। विस्तृत जानकारी इस महाविद्यालय के वेबसाइट-[www.ctebhagalpur.in](http://www.ctebhagalpur.in) पर उपलब्ध है साथ ही इस महाविद्यालय के परिचारी को निदेश दिया जाता है कि उक्त सूचना महाविद्यालय एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, भागलपुर कार्यालय के सूचनापट्ट पर प्रदर्शित करेंगे।

*20*

प्रभारी प्राचार्य  
अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय  
भागलपुर

ज्ञापांक-602 भागलपुर, दिनांक-27.04.26

प्रतिलिपि-संबंधित डाटा इन्ट्री ऑपरेटर एवं परिचारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

*Meeralochi*  
प्रभारी प्राचार्य 27.04.2026  
अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय  
भागलपुर